

प्रेषक,

आयुक्त,

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,

प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक —एन०३००४००८००/ _____ /2017-18 दिनांक : ३० नवम्बर, 2017

विषय—जैश पब्लिक स्कूल, केशवपुर अंजान शहीद, आजमगढ़ को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन
आपत्ति नहीं है—

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों
के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बैसिक शिक्षा परिषद्
द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क
नहीं लिया जायेगा।
4. संरक्षा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता रेण्ट्रल
बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट
एकजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त
होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार
से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं
के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते
नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये
जायेंगे।


Principal
Jaish Public School
Keshavpur-Anjan Shaheed
Azamgarh (U.P.)

३३३
JAISH PUBLIC SCHOOL
KESHAVPUR-ANJAN SHAHEED
AZAMGARH (U.P.)

३३३
PRINCIPAL
JAISH PUBLIC SCHOOL
KESHAVPUR-ANJAN SHAHEED
AZAMGARH
Manager
JAISH PUBLIC SCHOOL
KESHAVPUR-ANJAN SHAHEED
AZAMGARH (U.P.)

(2)

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
 8. विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(के० रविन्द्र नायक)


आयुक्त

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

प०स०/एन०ओ०सी०/५८७७-८५ /2017-18 तद दिनांक वही।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
4. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़।
6. निरीक्षक, आंगल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, जैश पब्लिक स्कूल, केशवपुर अंजान शाहीद, आजमगढ़।
8. गार्ड फाइल।



(के० रविन्द्र नायक)

आयुक्त

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

R
Principal
Jaish Public School
Keshavpur Anjan Shaheed
Azamgarh

B. Shummu
PRINCIPAL
JAISH PUBLIC SCHOOL
KESHAVPUR-ANJAN SHAHEED
AZAMGARH

H
Manager
JAISH PUBLIC SCHOOL
KESHAVPUR-ANJAN SHAHEED
AZAMGARH (U.P.)